# न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल (आर0ए0एस0)

अपील संख्या :– 04/2018 (223 आर0टी0एक्ट0)
आरसीएमएस संख्या :– 2018/00015

उनवान

1. गिरीशचन्द पुत्र भगवती प्रसाद
2. श्री गोपाल पुत्र भगवती प्रसाद
   जातीगत त्यागी निवासीगण ग्राम मूसलपुर तहसील सैपऊ।

.....अपीलाण्ट

बनाम

1. पीतम सिंह पुत्र पाती कौम गडरिया निवासी मूसलपुर तहसील सैपऊ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैपऊ।
3. मोहन सिंह पुत्र पीतम सिंह कौम गडरिया ग्राम मूसलपुर तहसील सैपऊ।
4. शिवनारायण पुत्र श्री ओमप्रकाश जाति वघेला निवासी ग्राम मूसलपुर तहसील सैपऊ।

..... रैस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 26.03.2014 प्रकरण संख्या 03/2014 उनवान पीतम सिंह बनाम गिरीशचन्द, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सैपऊ।

उपस्थित :–

1. श्री राजेन्द्र सिंह राणा अभिभाषक अपीलाण्ट ।
2. श्री श्रीगोपाल शर्मा अभिभाषक रैस्पो0।

निर्णय दिनांक :–25.11.2021

1. यह अपील इस न्यायालय में उपखण्ड अधिकारी, सैपऊ के निर्णय दिनांक 26.03.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/रैस्पो0 संख्या 01 ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध प्रतिवादी/अपीलाण्ट इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी गत खसरा नम्बर 310 मिन रकवा 02 विस्वा एवं 310 मिन रकवा 01 बीघा 11 विस्वा जिनसे हाल खसरा नम्बर क्रमशः खसरा नम्बर 501 रकवा 02 विस्वा एवं 506 रकवा 01 बीघा 6 विस्वा वाके ग्राम मूसलपुर तहसील सैपऊ बने हैं, के खातेदार काश्तकार वादी के पिता पाती थे। वादी को उक्त आराजी अपने पिता पाती से विरासतन जरिये नामान्तकरण संख्या 205 प्राप्त हुई है। प्रतिवादीगण के पूर्व पुरूष वेदरिया पुत्र श्री नेकराम निहायत चालाक व्यक्ति था। जिसने बन्दोबस्त कर्मचारियो से मिल कर अवैध रूप से उक्त आराजी को अपने नाम करा लिया था। बन्दोबस्त विभाग को केवल गात्र इन्द्राज रिपीट करने का अधिकार था। बन्दोबस्त विभाग को किसी भी खातेदार के खातेदारी अधिकार बदलने का अधिकार नहीं था। प्रतिवादीगण उक्त गलत इंद्राजो के आधार पर वादी की आराजी को हडपना चाहते हैं। अतः वाद प्रस्तुत कर उक्तानुसार डिक्री किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.03.2014 से डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रतिवादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प-धौलपुर

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेसपोडेण्ट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बार बार आवाज दिलवाये जाने के बावजूद भी ना तो अभिभाषक रैस्पो0 एवं ना ही स्वयं रैस्पो0 हाजिर अदालत आये। अतः उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुये, बहस अपीलाण्ट एक पक्षीय सुनी गयी। तत्पश्चात् दिनांक 16.11.2021 को रैस्पो0 की ओर से एक प्रार्थना पत्र मय वकालतनामा प्रकरण में सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। जिस पर अभिभाषक रैस्पो0 को लिखित बहस पेश करने का अवसर दिया गया। रैस्पो0 द्वारा दिनांक 23.11.2021 को लिखित बहस प्रस्तुत की गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुये, बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों के सर्वथा विपरीत है। रैस्पो0 संख्या 01 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को धोखा देकर मिथ्या एवं वास्तविक तथ्यों को छिपाते हुये उक्त डिक्री प्राप्त की है। वास्तविक तथ्य इस प्रकार हैं कि विवादित आराजीयात के संबंध में रैस्पो0 संख्या 01 की ओर से अपीलाण्ट्स के पूर्वाधिकारी बेदरिया पुत्र नेकराम जाति त्यागी निवासी मूसलपुर के विरूद्ध उनवानी पीतम बनाम बेदरिया प्रकरण संख्या 28/1996 प्रस्तुत किया था। उक्त पूर्व दावा न्यायालय सहायक जिलाधीश मुख्यालय धौलपुर में चला, जिसमें अपीलाण्ट के पूर्वाधिकारी बेदरिया की ओर से जवाब दावा पेश किया गया था तथा न्यायालय द्वारा तनकीयात भी कायम की जा चुकी थी। तत्पश्यात् रैस्पो0 पीतम सिंह एवं अपीलाण्ट्स के पूर्वाधिकारी बेदरिया के मध्य दौराने दावा राजीनामा हो गया था। राजीनामे के मुताबिक रैस्पो0 संख्या 01 ने न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि उसका राजीनामा हो गया है और वह अपने दावे को आगे चलाना नहीं चाहता है। रैस्पो0 के प्रार्थना पत्र पर न्यायालय द्वारा उसके दावे को खारिज फरमा दिया गया। परन्तु रैस्पो0 ने उक्त तथ्य को दावे में पूरी तरह से छुपाते हुये नया दावा पेश करके अपीलाण्ट के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही कराते हुये दावा डिक्री कराया है। उनका यह भी कथन है कि जहॉ रैस्पो0 ने अपने दावे को वापस लेने की प्रार्थना करते हुये दावे को खारिज करा लिया तो दुबारा उसी विवादित आराजी के बाबत् दावा न्यायालय में पेश करने का कानूनन कोई अधिकार नहीं था। अतः रेसज्यूडिकेटा लागू होगा। फिर भी रैस्पो0 द्वारा पुनः दावा पेश करते हुये, अपीलाधीन आदेश पारित कराया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अपीलाण्ट पर सम्मन की कोई तामील कभी नहीं हुयी, तामील भी धोखाधडी करते हुये, फर्जी तामील दिखायी गयी है। अर्थात रैस्पो0 की ओर से पूरी तरह से धोखाधडी करते हुये वर्तमान निर्णय व डिक्री हासिल किये गये हैं। रैस्पो0 द्वारा पूर्व के दावे की पत्रावली में भी दावा खारिजी के लिये पेश हुये प्रार्थना– पत्र को पत्रावली से गायब करा दिया है तथा न्यायालय के अन्तिम आदेश पर न्यायालय की मोहर के ऊपर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर को भी लगभग मिटा दिया है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4. रैस्पो0 के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप हैं। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट की समुचित तामील करायी है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर अपीलाण्ट के तामील शुदा सम्मन संलग्न है जो तामील कुनन्दा द्वारा दिनांक 12.02.2014 को तामील कराये हैं। उन सम्मनो पर सम्मन लेने से इंकार की रिपोर्ट अंकित है। तामील कुनन्दा द्वारा उक्त सम्मन उनके खुले मकान पर चस्पा किये गये हैं एवं स्वतत्र गवाह अतर सिंह व मुरारीलाल के हस्ताक्षर कराये गये हैं। अतः अपीलाण्ट का यह कथन कि उन्हें अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई का मौका नहीं मिला मिथ्या है। यदि अपीलाण्ट तामील को फर्जी मानते हैं तो उनके द्वारा आदेश 9 नियम 13 जा0दी0 में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक पक्षीय निर्णय व डिक्री को अपास्त कराने को स्वतंत्र थे उनके द्वारा आदेश 9 नियम 13 जा0दी0 की कार्यवाही नहीं करना यह दर्शाता है कि तामील विधिवत रूप से हुई है। इसके अलावा विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट द्वारा केवल मात्र तकनीकी बिन्दुओ पर बहस की गयी है। गुणावगुण पर कोई तर्क प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। यह है कि जाब्ता दीवानी के आदेश 41

भू-प्रबन्ध अधिकारी
धौलपुर
राजस्व अपील प्राधिकारी
कैम्प-धौलपुर

नियम 2 में उपबन्धित किया गया है कि आक्षेपित निर्णय के विरूद्ध अपीलीय न्यायालय केवल उन्हीं आधारो पर विचार करेगा जो अपील के ज्ञापन में अंकित है। ऐसे आधार जो अपील में अंकित नहीं हैं उनके संबंध में अपीलीय न्यायालय किसी भी पक्ष को नहीं सुनेगा ना ही उनके संबंध में निष्कर्ष पारित होगा। पत्रावली पर यह स्पष्ट है कि आक्षेपित निर्णय एवं डिक्री अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद संख्या 3/2014 में पारित की गयी है। इससे पूर्व प्रत्यर्थी द्वारा वेदरिया पुत्र नेकराम जाति त्यागी निवासी ग्राम मूसलपुर के विरूद्ध एक वाद सहायक कलक्टर मुख्यालय धौलपुर में स्वत्व घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश हुआ जो दिनांक 12.08.1997 को विदड्रा के आधार पर खारिज हुआ है। परन्तु अपीलार्थी एवं वेदरिया अलग–अलग व्यक्ति हैं। जिनका आपस में कोई संबंध नहीं है। ऐसी स्थिति में वाद संख्या 28/1996 के लिये वेदरिया के विरूद्ध जो वाद कारण था वह वाद कारण वेदरिया द्वारा वाद संख्या 28/1996 में समाप्त हो गया। पुनः वर्तमान वाद के लिये वाद कारण प्रत्यर्थी को अपीलार्थीगण के विरूद्ध माह दिसम्बर 2013 में हुआ। इस प्रकार दोनों वादो के लिये वाद कारण एवं व्यक्ति अलग–अलग हैं। ऐसी स्थिति में पूर्ववर्ती वाद विदड्रा में खारिज होने के पश्चात् वर्तमान वाद चलने योग्य है। इस प्रकार का मत माननीय उच्च न्यायालय ने एआईआर 2005 पेज 457 पैरा 17, 18 में पारित किया जाकर, स्पष्ट किया है कि दोनों वादो के वादकारण यदि अलग अलग है तो पूर्ववर्ती वाद के खारिज होने के बाद पश्चात्‌वर्ती वाद पर कोई प्रभाव नहीं होगा। इसके अलावा उनका यह भी तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्ववर्ती वाद संख्या 49/1996 उनवानी वेदरिया बनाम पीतम एवं वाद संख्या 28/1996 उनवानी पीतम बनाम वेदरिया के साथ दिनांक 23.07.1996 को समेकित किया गया है। कानूनी स्थिति के अनुसार यदि वाद संख्या 28/1996 प्रत्यर्थी द्वारा किसी भी प्रकार से खारिज करा लिया और वेदरिया लडना चाहता था या भूमि वेदरिया को मिली थी। तो वेदरिया द्वारा वाद संख्या 49/1996 डिक्री क्यों नहीं कराया। इस संबंध में अधिवक्ता अपीलार्थीगण सर्वथा मौन है एवं यह स्थिति उनके खिलाफ है। जहॉ तक रिकार्ड में हेरा फेरी होने का प्रश्न है। रैस्पो0 जो 80 वर्ष से अधिक आयु का वृद्ध व्यक्ति है एवं मात्र साक्षर है। उसका क्या प्रभाव अधिकारी व कर्मचारी पर हो सकता था। दूसरा तर्क यह दिया कि प्रार्थना पत्र गायब करने से रैस्पो0 को क्या लाभ हो सकता है। तीसरा तर्क यह दिया कि ऐसी कथित हेरा फेरी से अपील के गुणावगुण पर क्या प्रभाव पड सकता है। क्या कथित हेरा फेरी सिद्ध होने से अपील सिद्ध हो सकती है, संभवतः नहीं। न्यायालय श्रीमान् को उपरोक्त आपत्तियों के अलावा केस की मैरिट को देखा जाना है। यह है कि जमाबन्दी संवत 2015 से 2018 प्रदर्श–5, जमाबन्दी संवत 2020 से 2022 प्रदर्श–6 एवं नामान्तकरण संख्या 205 प्रदर्श–7 के अनुसार खसरा नम्बर 501, 506 के गत खसरा नम्बर 310 मिन प्रत्यथी पीतम एवं उसके पिता के नाम दर्ज है। बन्दोबस्त ने जमाबन्दी संवत 2022 प्रदर्श–3 में वेदरिया का नाम कैसे अंकित कर दिया स्पष्ट नहीं है। 1968 आरआरडी पेज 231 से अब तक माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने सैकडो निर्णयों में यह मत प्रतिपादित किया है कि बन्दोबस्त विभाग को बन्दोबस्त से पूर्व के इन्द्राजो को बिना आधार बदलने के कोई अधिकार हासिल नहीं है। वेदरिया के नाम इन्द्राज बन्दोबस्त विभाग ने बिना किसी आधार किये हैं जो अपास्त योग्य है। अपीलाण्ट वाद संख्या 28/1996 के जरिये विदड्रा खारिज होने की तकनीकी आड लेकर बन्दोबस्त विभाग की गलती को मनवाना चाहते हैं। यदि इसकी अनुमति दी जाती है तो न्याय का गला घुटने की पूरी संभावना है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आरबीजे (17) 2010 पेज 207 का उद्धरण पेश किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अपीलाण्ट का हस्तगत अपील में प्रमुखता से यह कथन रहा है कि अपीलाधीन आदेश रैस्पो0 ने गलत तथ्यो के आधार पर, उनकी फर्जी तामील कराते हुये हासिल की है। इसके अलावा उनकी यह भी आपत्ति है कि विवादित आराजी बाबत् पूर्व में एक दावा चला था। जिसे रैस्पो0 ने

भू-प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प-धौलपुर

जरिये विदड्रा खारिज करा लिया। रैस्पो0 ने उक्त दावे के रिकार्ड में भी हेरा फेरी कर दी गयी है एवं पूर्ववर्ती वाद के खारिज होने के कारण वर्तमान वाद में रेसज्यूडिकेटा लागू होगा। हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। हम पाते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर अपीलाण्ट के तामील शुदा सम्मन संलग्न हैं जिस पर तामील कुनन्दा ने स्पष्ट रिपोर्ट की है कि उन्होनें सम्मन लेने से इंकार कर दिया। जिस पर तामील कुनन्दा ने सम्मन को खुले मकान पर चस्पा किया जाकर दो स्वतंत्र गवाह के हस्ताक्षर कराये गये हैं। अतः अपीलाण्ट का यह कथन कि तामील फर्जी तरीके से कराई है। सहज मान्य नहीं है। अपीलाण्ट उक्त एक पक्षीय डिक्री को आदेश 9 नियम 13 जाब्ता दीवानी के तहत अपास्त कराने हेतु स्वतंत्र थे। परन्तु उनके द्वारा ऐसा भी नहीं किया गया है। अब प्रश्न यह है कि क्या पूर्ववर्ती वाद का विदड्रा में खारिज होने से रेसज्यूडिकेटा का सिद्धान्त लागू होगा। हमने सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 11 "पूर्व न्याय" का न्यायिक मस्तिष्क से अध्ययन किया। धारा 11 में अंकित है कि कोई भी न्यायालय किसी ऐसे वाद या विवाद्यक का विचारण नहीं करेगा जिसमें प्रत्यक्षतः और सारः विवाद्य विषय उसी हक के अधीन मुकदमा करने वाले उन्हीं पक्षकारो के बीच के या ऐसे पक्षकारो के बीच के जिनसे व्युत्पन्न अधिकारो के अधीन वे या उनमें से कोई दावा करते हैं, किसी पूर्ववर्ती वाद में भी ऐसे न्यायालय में प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद्य रहा है, जो ऐसे पश्चात् वाद का या उस वाद का जिसमें ऐसा विवाद्यक बाद में उठाया गया है, विचारण करने में सक्षम था और ऐसे न्यायालय द्वारा सुना जा चुका है और अन्तिम रूप में विनिश्चित किया जा चुका है। इससे स्पष्ट है कि रेसज्यूडिकेटा वहीं लागू होगा जहाँ पूर्ववर्ती प्रकरण में समान पक्षकार हों अथवा पूर्ववर्ती वाद को अन्तिम रूप में विनिश्चित किया जा चुका हो, तो ही रेसज्यूडिकेटा का सिद्धान्त लागू होगा। हस्तगत प्रकरण में पूर्ववर्ती वाद का अन्तिम निस्तारण ना होकर जरिये विदड्रा खारिज हुआ है एवं पक्षकार भी समान नहीं है। पूर्ववर्ती वाद पीतम बनाम वेदरिया के मध्य चला था एवं हस्तगत प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय में पीतम बनाम गिरीश चन्द के मध्य चला है। अतः रेसज्यूडिकेटा का सिद्धान्त हस्तगत प्रकरण पर लागू नहीं होता है। जैसा कि आरबीजे 2010(17) पेज 207 पर भी सिद्धान्त प्रतिपादित किया है। इसके अलावा हम यह भी पाते हैं कि पूर्ववर्ती वाद संख्या 28/1996 उनवानी पीतम बनाम वेदरिया के साथ वाद संख्या 49/1996 उनवानी वेदरिया बनाम पीतम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 23.07.1996 को समेकित किया गया है। कानूनी स्थिति के अनुसार यदि वाद संख्या 28/1996 प्रत्यर्थी द्वारा किसी भी प्रकार से खारिज करा लिया और वेदरिया लड़ना चाहता था या भूमि वेदरिया को मिली थी। तो वेदरिया के वाद संख्या 49/1996 में क्या आदेश पारित हुआ। इस संबंध में अधिवक्ता अपीलार्थीगण मौन रहे हैं एवं ना ही उनके द्वारा उक्त वाद बाबत् कोई तर्क अथवा दस्तावेज ही पेश किये हैं। इसके अलावा पूर्ववर्ती वाद में अपीलाण्ट पक्षकारो के मध्य राजीनामा होना भी कथन करते हैं। परन्तु पूर्ववर्ती वाद की अन्तिम आदेशिका में अधीनस्थ न्यायालय ने यह अंकित किया है कि "वादी ने एक प्रार्थना पत्र इस मुकदमे को वापस लेने हेतु पेश किया। वादी को सुना गया। अतः यह दावा विदड्रा किया जाकर खारिज किया जाता है" यदि तर्क के लिये प्रकरण में पक्षकारान के मध्य राजीनामा होना माना भी जावें, तो इस आपत्ति बाबत् हम पहले प्रकरण के गुणावगुण पर पॅहुचना उचित समझते हैं। गुणावगुण पर हम पाते हैं कि नकल जमाबन्दी संवत 2011–14 प्रदर्श 4, नकल जमाबन्दी संवत 2015 से 2018 प्रदर्श–5 में गत खसरा नम्बर 310 रकबा 01 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्राम मूसलपुर पर रैस्पो0 के पिता पाती का नाम दर्ज है। उसके बाद पाती की मृत्यु हो जाने के उपरान्त नामान्तकरण संख्या 205 से उक्त आराजी पर अन्य खसरा नम्बरान के साथ रैस्पो संख्या 01 पीतम सिंह पुत्र पाती का नाम दर्ज किया गया है। जिससे स्पष्ट जाहिर है कि विवादित आराजी गत खसरा नम्बर 310 रकबा 01 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्राम मूसलपुर के खातेदार काश्तकार रैस्पो0 संख्या 01 के पिता पाती थे एवं रैस्पो0 संख्या 01 ने उक्त आराजी अपने पिता से विरासतन प्राप्त की है। अब यह देखा जाना है कि विवादित आराजी पर वेदरिया के नाम किस प्रकार आये। रैस्पो0 संख्या 01 के पिता पाती की मृत्यु के बाद रैस्पो0 संख्या 01 के नाम नामान्तकरण बन्दोबस्त

भू-प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील अधिकारी
भरतपुर

की कार्यवाही के दौरान ही खोला गया है। क्योंकि रैस्पो0 संख्या 01 का नाम नकल जमाबन्दी संवत 2019–2022 प्रदर्श 6 में ही दर्ज हुआ है और उसी समय बन्दोबस्त विभाग की जमाबन्दी संवत 2022 प्रदर्श 3 में हाल खसरा नम्बर कायम कर विवादित आराजी पर वेदरिया पुत्र श्री नेकराम कौम त्यागी का नाम दर्ज किया गया है। जिसे अपीलाण्ट अपना पूर्वाधिकारी बताते हैं एवं अपीलाण्ट को विवादित आराजी नामान्तकरण संख्या 338 दिनांक 24.12.1999 को जरिये वसीयतनामा प्राप्त हुयी है। अतः यह तथ्य स्पष्ट है कि वेदरिया का नाम दौराने बन्दोबस्त आया है। हमारी दृष्टि में भू प्रबन्ध के अंकन प्रारम्भ से ही क्षेत्राधिकार को बाहर होने के कारण अवैध थे। ऐसे अनेक न्यायिक दृष्टान्त हैं जिनमें भू प्रबन्ध को अभिलेख में कोई भी परिवर्तन करने का अधिकार नही है, बताया गया है। इस प्रकार रैस्पो0 संख्या 01 की आराजी पर वेदरिया के नाम किये गये इन्द्राज शुरू से ही रैस्पो0 संख्या 01 के मुकाबले शून्य व अवैध थे। इस निष्कर्ष के बाद हम अभिभाषक अपीलाण्ट की पूर्ववर्ती वाद में कथित राजीनामा बाबत् आपत्ति पर पाते हैं कि राजीनामा के माध्यम से कोई व्यक्ति अपने अधिकारों का हस्तांतरण नहीं कर सकता एवं न्यायालय भी इस प्रकार के हस्तांतरण को मूक रह कर नहीं देख सकता है। किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकारों का सृजन, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 13, 15, 19 से ही हो सकता है। इसके अलावा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 41, 42 अनुसार खातेदारी अधिकारों का हस्तांतरण केवल मात्र विक्रय, दान अथवा वसीयत से हो सकता है। पूर्ववर्ती वाद में उक्त में से एक भी माध्यम नहीं हैं। जहॉ तक अपीलाण्ट की अन्य आपत्ति कि पूर्ववर्ती वाद की पत्रावली में कॉट–छॉट अथवा दस्तावेज गायब होने का प्रश्न है। हम पाते हैं कि हस्तगत अपील के माध्यम से अपीलाण्ट को उक्त आपत्ति बाबत् कोई अनुतोष दिया जाना संभव नहीं है। अभिभाषक अपीलाण्ट द्वारा दौराने बहस केवल तकनीकी आपत्तियॉ की गयी, गुणावगुण पर कोई बहस नहीं की गयी है एवं ना ही वेदरिया के पूर्ववर्ती वाद संख्या 49/1996 वउनवानी वेदरिया बनाम पीतम में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा क्या निर्णय किया बाबत् ही कोई तर्क प्रस्तुत किया है एवं ना ही उससे संबधित दस्तावेज ही पत्रावली पर प्रस्तुत किये हैं। लिहाजा हम अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश में कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं एवं अपील अपीलांट खारिज योग्य समझते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलण्ट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सैपऊ के निर्णय व डिक्री दिनांक 26.03.2014 यथावत रखें जाते हैं पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैशल शुमार की जाकर, नम्बर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हों। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख, निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 25.11.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

25.11.2021

(अखिलेश कुमार पिपल)
भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर

डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20 , रूल 6–7, जाब्ता दीबानी)
(Civil Procedure Code,Appendix D&1)

अज अदालत **भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर** मुकाम **कैम्प धौलपुर**
व इजलास श्री अखिलेश कुमार पिपल (आर0ए0एस0)
**प्रकरण संख्याः– अपील संख्या–04/2018 (223 आर.टी.एक्ट.)**

1. गिरीशचंद पुत्र भगवतीप्रसाद
2. श्री गोपाल पुत्र भगवतीप्रसाद
   जातिगण त्यागी निवासीगण ग्राम मूसलपुर तहसील सैंपऊ जिला धौलपुर।

.....**अपीलांट।**

**बनाम**

1. पीतमसिंह पुत्र पाती कौम गडरिया निवासी मूसलपुर तहसील सैंपऊ जिला धौलपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैंपऊ जिला धौलपुर।
3. मोहन सिंह पुत्र पीतम सिंह कौम गडरिया ग्राम मूसलपुर तहसील सैंपऊ जिला धौलपुर।
4. शिवनारायण पुत्र श्री ओमप्रकाश जाति बघेला निवासी ग्राम मूसलपुर तहसील सैंपऊ।

..... **रेस्पोडेंट।**

**अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री न्याया0 उपखण्ड अधिकारी सरमथुरा दिनांक 26.03.2014 प्रकरण संख्या 03/2014 उनवान पीतमसिंह बनाम गिरीशचन्द।**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी अपीलांट अभिभाषक श्री राजेन्द्र सिंह राणा अभिभाषक अपीलांट मिनजानिब मुदई व रेस्पोडेंट अभिभाषक श्री श्रीगोपाल शर्मा मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि **अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,सैंपऊ के निर्णय व डिक्री दिनांक 26.03.2014 यथावत रखे जाते है।**

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख.....**25**.....माह.....**11**.....सन्.....**2021**.....को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत.....

औहदा.....

| मुदई | रूपया | पैसे | मुदायलाह | रूपया | पैसा |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जीदावा | | | स्टाम्प वकालतनामा | | |
| स्टाम्प वकालतनामा | | | स्टाम्प अर्जी | | |
| स्टाम्प वजह सबूत | | | महनताना वकील पर | | |
| महनताना वकील | | | खर्चा गवाहान | | |
| खर्चा गवाहान | | | फीस कमिश्नर | | |
| फीस कमिश्नर | | | बाबत् इजराय हुक्मनामा | | |
| बाबत् इजराय हुक्मनामा | | | मुतफर्रिक | | |
| मुतफर्रिक | | | | | |
| मीजान | | | मीजान | | |

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।